

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण 2.3975 है० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई-4.325 कि०मी०।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग नव निर्माण स्वीकृति शा०सं०-संख्या 5610/पी३-14(Hab)/
वू.आर.आर.डी.ए/18 दिनांक 31/Jan/2018

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम जाखणी के ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जाएंगे तथा इनका समग्र विकास सम्भव होगा। साथ ही ग्रामीण अपनी नकदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी, तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में सुविधा होगी।

अतः मार्ग का समरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण में न्यूनतम आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो, मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

1.	वन पंचायत भूमि:-	0.00 है०।
2.	नाप भूमि:-	0.63 है०।
3.	सिविल भूमि:-	2.3975 है०।
	योग:-	3.275 है०।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 है० सिविल वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि०मी०।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम विजार व जाखणी की दोनों मिलाकर कुल जनसंख्या 860 है। ग्राम विजार व जाखणी की फसलें आलू, दाल, टमाटर, गोभी, मल्टा, नीम्बू, कोदा, चावल, दूध आदि को मुख्य बाजार तक ले जाने से सुविधा होगी।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा मिलेगी, वर्तमान में गांव के पुरुषों व महिलाओं को गृह उपयोगी वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए बाजार बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे की ग्राम वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमुल्य समय बचेगा एवं सुविधाएं मिलेंगी।

मार्ग निर्माण से चिकित्सालय एवं विद्यालय खुलने के और नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही गांव विकास की और अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस मोटर मार्ग के समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमती एवं भू-गर्भवेता द्वारा भी मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। एवं मार्ग पर वृक्षों की संख्या भी कम प्रभावित हो रही है।

नन्दप्रयाग घाट के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के समरेखण को वन भूमि से ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अतः मार्ग निर्माण जनहित में अतिआवश्यक है।

श्रीमान

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
बन्नीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि०मी०।

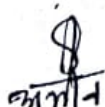
(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

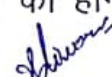
जनपद चमोली में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात का होना अति आवश्यक है, यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिलकुल नहीं हो सकता है, इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए शासनादेश संख्या 5610/पी३-14(Hab)/बू.आर.आर.डी.ए/2018 दिनांक 31/Jan/2018 द्वारा 2.3975 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि उत्पादन एवं पशुपालन है, यहां के लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मीलों दूर पैदल चलकर सामान पीठ पर तथा घोड़ों पर ढोना पड़ता है। जिसमें अनावश्यक समय नष्ट हो जाता है।

मोटर मार्ग बनने व यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाने से इस क्षेत्र में पैदा होने वाली कृषि उपज को नजदीकी बाजारों में पहुँचाने पर कृषकों को अच्छे दाम मिलेंगे जिससे स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर जीवन स्तर पर जीवन स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप सामाजिक स्तर में सुधार आएगा। इस क्षेत्र में आलू व चौलाई की नकदी फसलों का उत्पादन होता है। यातायात होने पर इस कृषि उत्पादन को बाजार में सही समय पर लाने पर रोजगार के अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे। साथ ही स्थानीय श्रमिकों को रोजगार हेतु अन्यत्र जाने की सुविधा होगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होने की सम्भावना है। साथ ही पलायन में भी अंकुश लगेगा। मार्ग का निर्माण ऐसे स्थानों से किया जा रहा जहां पर वन सम्पदा/वृक्षों को न्यूनतम क्षति पहुँच रही है।

मार्ग निर्माण से स्थानीय वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा वृक्षारोपण बचाव आदि कार्य में सुविधा होगी। आसानी से सुदूर वन क्षेत्रों के नजदीक पहुँच कर निरीक्षण में होने वाली दिक्कतें दूर होगी। मार्ग निर्माण होने से जनता को रसोई गैस आदि इंधन सामग्री आसानी से घर तक पहुँचाने के फलस्वरूप जलाउ लकड़ी का प्रयोग कम होगा, जिससे स्थानीय वनों का कटान कम होने की पूर्ण सम्भावना है, और पर्यावरण को सीधा फायदा होगा।

अतः मार्ग का निर्माण स्थानीय जनता की सुविधा एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त होने से यातायात का होना आवश्यक है।


क.पी.सिंह
कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग


दीपक सिंह
वन विभाग
चमोली जं.